



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-950/RJ/34/2023-SSW

दिनांक: 27/06/2023


1. श्री भास्कर ए सावंत
प्रमुख सचिव,
एनर्जी विभाग, राजस्थान सरकार,
जयपुर, (राजस्थान)

2. श्री अजीत कुमार सक्सेना
प्रबंध निदेशक,
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
विद्युत भवन, जनपथ,
जयपुर(राजस्थान)302005

विषय: मुख्य अभियंता पद की वर्ष 2022-23 की रिब्यू डी.पी.सी करवाने हेतु - श्री भगवान सहाय मीना, अधीक्षण अभियंता, जेवीवीएनएल, जयपुर का दिनांक शून्य का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री भगवान सहाय मीना दिनांक शून्य में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. श्री भगवान सहाय मीणा,
251/72, प्रताप एनक्लेव,
सेक्टर-25, प्रताप नगर,
जयपुर- 302033 (राजस्थान)
(Mob 9414044503)
(Email: bs1967meena@gmail.com)

✓ NIC, NCST (please upload on the website)